



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पॉकेट-TC-3/2 पल्लवपुरम फेज-2, मोदीपुरम, मेरठ-250110

संदर्भ संख्या 1153-1400-70/2014

दिनांक 9/10/14

सेवा में,

वैद्यता अवधि :- जारी करने की तिथि से दो वर्ष मात्र।

में सरस्वती कुंज,

द्वारा श्रीमती मधुगुप्ता निवासी 04, विजय नगर,

जनपद मेरठ।

विषय : पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टि से नई इकाई की स्थापना हेतु/कार्परत/इकाई की उत्पादन क्षमता में विस्तार/संयंत्रों के नवीनीकरण हेतु अनापति प्रमाणपत्र का निर्गमन।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आप अपने आवेदन पत्र दिनांक 15-9-14 का संदर्भ लें। आपके आवेदन पत्र पर विचार किया गया है तथा कृपया अवगत हों कि उद्योग को पर्यावरणीय प्रदूषण के दृष्टिकोण से निम्नलिखित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तों (संलग्नक) के समुचित अनुपालन के साथ सशर्त अनापति स्वीकृति की जाती है।

1. अनापति प्रमाणपत्र निम्नलिखित विशिष्ट विवरणों के लिए ही निर्गत किया जा रहा है-

(क) स्थल : खससा-संख्या-2117, दिल्ली रोड, मेरठ

(ख) उत्पादन : कुल एरिया-2600.62 वर्गमीटर में से कुल कवर्ड एरिया-2068.42 वर्गमीटर पर कुल 17 प्लाट्स का निर्माण

(ग) मुख्य कच्चे माल : ईट, सीमेंट एवं सरिया आदि।

(घ) प्रयुक्त ईंधन : 25 के0वी0ए0 के डी0जी0सेट में डीजल आवश्यकतानुसार।

(ङ) औद्योगिक उत्प्रावह की मात्रा : शून्य

उपर्युक्त विषय वस्तु में किसी भी प्रकार से परिवर्तन करने पर पुनः अनापति प्रमाणपत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

2. उद्योग में सभी आवश्यक यंत्र, संयंत्र, हरित पट्टिका, उत्प्रावह शुद्धिकरण संयंत्र तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की स्थापना में की गयी प्रगति रिपोर्ट इस कार्यालय में प्रत्येक माह की दसवीं तारीख तक निरन्तर प्रेषित करें।

उद्योग इकाई में परीक्षण, उत्पादन तब तक प्रारम्भ नहीं करें जब तक कि वह बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियमों के अन्तर्गत सहमति प्राप्त न कर ले। जल एवं वायु सहमति प्राप्त करने हेतु इकाई में उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से कम से कम 2 माह पहले निर्धारित सहमति आवेदन को इकाई से उत्पादन पूर्व प्रथम आवेदन का उल्लेख करते हुए इस कार्यालय में अवश्य ही जमा कर दिया जाए। यदि उद्योग उपरोक्त का अनुपालन नहीं करता है तो उक्त अधिनियमों के वैधानिक प्राविधानों के अन्तर्गत उद्योग के विरुद्ध बिना किसी पूर्व सूचना के विधिक कार्यवाही की जा सकती है।

4. उद्योग में परीक्षण उत्पादन के पूर्व इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा इकाई का निरीक्षण सुनियोजित किया जाये।
5. घरेलू उत्प्रावाह, जिसकी मात्रा 2.1 लिटर से अधिक नहीं होगी, सिक्रेटरी से अधिक नहीं होगी, सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट के माध्यम से बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप शुद्धिकृत कर निस्तारित किया जाये।
6. प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रस्तावित शुद्धिकरण संयंत्र तथा निर्माण कार्य आपूर्ति के लिये दिये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय में दिनांक 30-11-14 तक अवश्य प्रस्तुत की जाये।
7. प्रस्तावित आवासीय भवनों/भूखण्डों के निर्माण के पश्चात जनित घरेलू उत्प्रावाह को प्रस्तुत परियोजनानुसार प्रस्तावित एसटीपी के माध्यम से निस्तारित किया जाये।
8. प्रस्तावित आवासीय परिसर में स्थापित किये जा रहे 25 के0वी0ए0 के डी0जी0सेट पर ध्वनि नियंत्रण हेतु एकास्टिक एनक्लोजर एवं छत तल से 1.5 मी0 ऊँचा एग्जास्ट स्थापित किया जाये।
9. प्रस्तावित भूखण्डों के विकास में परिसर के चारो ओर सघन व छायादार वृक्षों को रोपित किया जाये।
10. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम-1986 एवं समय-समय पर यथासंशोधित अधिनियम का पालन किया जाये।
11. आवासीय भूखण्ड में वर्षा जल संचयन हेतु रेनवाटर हार्वेस्टिंग पद्धति की स्थापना की जाये।
12. यह अनापत्ति प्रमाण-पत्र मात्र आवासीय भूखण्ड के विकास कार्य हेतु ही मान्य है।

कृपया ध्यान दें कि उपर्युक्त लिखित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तों का प्रभावी एवं संतोषजनक अनुपालन न करने पर बोर्ड द्वारा निर्गत अनापत्ति पत्र निरस्त कर दिया जायेगा। बोर्ड का अधिकार सुरक्षित है कि अनापत्ति प्रमाणपत्र की शर्तों में संशोधन किया जाये अथवा निरस्त कर दिया जाये। उपर्युक्त विशिष्ट एवं सामान्य शर्तों के सम्बन्धमें उद्योग द्वारा इस कार्यालय में दिनांक 30-11-2014 तक प्रथम अनुपालन आख्या अवश्य प्रेषित की जाये। अनुपालन आख्या नियमित प्रेषित की जाये अन्यथा अनापत्ति प्रमाणपत्र निरस्त कर दी जायेगी।

क्षेत्रीय अधिकारी
तददिनांक

पृ0 सं0

प्रतिलिपि :

- ① मुख्य पर्यावरण अभियन्ता (सर्किल-3), उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- ② मुख्य अंगद निधी, मेरठ विभाग, मेरठ।

क्षेत्रीय अधिकारी